कार्यालयः जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डायट),
फारबिसगंज (अररिया)
District Institute of Education and Training(DIET),
Forbesganj (Araria)
बिहार सरकार

आफताब आलम (बि0शि0से0)
प्रभारी प्राचार्य

Email:- dietprincipalforbesganj@gmail.com
Website:- www.dietforbesganj.in

अल्पकालीन नीलामी सूचना।

PR No-007666 (Education) 2023-24 के माध्यम् से निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्रू, पटना द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गई थी कि संस्थान के अनुपयोगी सामग्रियों की नीलामी/निस्तारण दिनांक–06.09.2023 के अपराह्न 03:00 बजे क्रेता स्वयं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष किया जाएगा। निर्धारित तिथि को डायट, फारबिसगंज, अररिया में अपरिहार्य कारण से नीलामी नहीं किया जा सका था। इस हेतु सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि डायट की अनुपयोगी सामग्रिरियों यथाः पुराने टूटे/पड़े हुए फर्नीचर, अनुपयोगी लकडियाँ, कार्यालय में रखे अन्य उपस्कर, लैब के पुराने अनुपयोगी सामग्रियाँ, पुराने कम्प्यूटर, अनुपयोगी आलमारी अप्रचलित पुराने पुस्तकों एवं रद्दी कागजों इत्यादि की बिक्री " जहाँ है, जैसे स्थिति में है " के आधार पर कि जानी है।

1. बिक्री हेतु निविदा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), फारबिसगंज, अररिया पिन नं0 854318 के कार्यालय कक्ष में मात्र निबंधित डाक/कुरियर के माध्यम् से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय अवधि में अधोलिखित शर्तो (वेवसाईट पर दिये शर्तो) के अधीन प्राप्त की जाऐंगी, तथा प्राप्ति के अंतिम तिथि के अगले दिन (कार्यदिवस) डायट, फारबिसगंज, अररिया के कार्यालय कक्ष में 02:00 बजे अपराह्न में गठित समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी। जिसमें निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि रह सकते हैं।
2. बिक्री की जाने वाली अनुपयोगी सामग्रियों का अवलोकन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 04 दिनों के अन्दर कार्यालय अवधि में डायट, फारबिसगंज में किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी Website:-state.bihar.gov.in/prdbihar, Website:-www.dietforbesganj.in एवं NIC, Araria से प्राप्त की जा सकती है।

29/9/2023

(आफताब आलम)
प्र0 प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (डायट)
फारबिसगंज, अररिया।
29/9/2023

अल्पकालीन नीलामी सूचना।

PR No- 007666 (Education) 2023-24 के माध्यम् से निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्रू, पटना द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गई थी कि संस्थान के अनुपयोगी सामग्रियों की नीलामी/निस्तारण दिनांक–06.09.2023 के अपराह्न 03:00 बजे क्रेता स्वयं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष किया जाएगा। निर्धारित तिथि को डायट, फारबिसगंज, अररिया में अपरिहार्य कारण से नीलामी नहीं किया जा सका था। इस हेतु सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि डायट की अनुपयोगी सामग्रिरियों यथाः पुराने टूटे/पड़े हुए फर्नीचर, अनुपयोगी लकडियाँ, कार्यालय में रखे अन्य उपस्कर, लैब के पुराने अनुपयोगी सामग्रियाँ, पुराने कम्प्यूटर, अनुपयोगी आलमारी अप्रचलित पुराने पुस्तकों एवं रद्दी कागजों इत्यादि की बिक्री " जहाँ है, जैसे स्थिति में है " के आधार पर कि जानी है।

बिक्री की आवश्यक शर्तें निम्नवत हैः–

1. बिक्री में भाग लेने वाले को अग्रधन (सुरक्षित राशि) के रूप में 50,000/– (पचास हजार रूपये) मात्र की डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो प्रभारी प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) फारबिसगंज के पदनांम से तथा फारबिसगंज में भुगतेय हो, जमा करना आवश्यक है।
2. बिक्री हेतु निविदा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), फारबिसगंज, अररिया पिन नं0 854318 के कार्यालय कक्ष में मात्र निबंधित डाक/कुरियर के माध्यम् से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय अवधि में अधोलिखित शर्तों (वेवसाईट पर दिये शर्तो) के अधीन प्राप्त की जाऐंगी, तथा प्राप्ति के अंतिम तिथि के अगले दिन (कार्यदिवस) डायट, फारबिसगंज, अररिया के कार्यालय कक्ष में 02:00 बजे अपराह्न में गठित समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी। जिसमें निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि रह सकते हैं।
3. बिक्री की जाने वाली अनुपयोगी सामग्रियों का अवलोकन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 05 दिनों के अन्दर कार्यालय अवधि में डायट, फारबिसगंज में किया जा सकता है।
4. निविदा दाता को अनुपयोगी सामग्रियों के लिए एक मुश्त मूल्य अंकित करना होगा जिस पर लागू GST/TDS तथा अन्य लागू कराधान की राशि अलग से निविदा दाता द्वारा देय होगी।
5. निविदा दाता को पिछले तीन वर्षों का आयकर एवं बिक्रीकर स्वच्छता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
6. निविदा दाता व्यक्ति/संस्थान का आवंटित **GST No.** और **PAN/TAN No.** एवं पहचान पत्र तथा चरित्र प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
7. अधिकतम दर कोट (Quote) करने वाले निविदा दाता को डायट द्वारा विक्रयादेश निर्गत करने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर ड्राफ्ट के माध्यम् से कर आदि सहित संपूर्ण राशि का भुगतान कर डायट कार्यालय से अनुपयोगी सामग्रियों को उठाना आवश्यक होगा।
8. सफल निविदा दाता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर समान का उठाव नहीं करने पर उनके द्वारा जमा की गई अग्रधन (सुरक्षित राशि) की राशि जब्त कर ली जाएगी। और दूसरे सर्वोच्च बोलीदाता के पक्ष में विक्रयादेश निर्गत कर दिया जाएगा।
9. निबंधित डाक/कुरियर द्वारा किये गए विलम्ब के लिए डायट कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
10. निविदा दाता को सभी कागजात हस्ताक्षर एवं बंद लिफाफे में देना अनिवार्य होगा।
11. बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी को एक या सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

29/9/23

(आफताब आलम)
प्र0 प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (डायट)
29/9/2023 फारबिसगंज, अररिया।